न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 543/2011
निर्णय दिनांकः 13/01/2020

श्रीनारायण पुत्र रामला जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. धन्नालाल (दौराने अपील फौत)
   - 1/1 लल्लूलाल पुत्र स्व. धन्नालाल
   - 1/2 प्रकाश पुत्र स्व. धन्नालाल
   - 1/3 रमेश पुत्र स्व. धन्नालाल
   - 1/4 गुल्ली बेवा स्व. धन्नालाल
     समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   - 1/5 गीता पुत्री धन्नालाल पत्नि ब्रजमोहन जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम माधोपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   - 1/6 सीता पुत्री धन्नालाल पत्नि राधेश्याम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम बाढबाजुपूरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र रामला जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. मनफूली बेवा रघुनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. रामोतार पुत्र रघुनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. बृजमोहन पुत्र रघुनाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः नयागांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. सब रजिस्ट्रार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. पंजाब नेशनल बैंक फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
9. स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 31/2010 उनवानी श्रीनारायण बनाम धन्नालाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के वाद संख्या 31/2010 बउनवानी श्रीनारायण बनाम धन्नालाल व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 08.12.2011 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयागांव तहसील बस्सी, जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 12/3 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। विवादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 आपस में सह कृषक है एवं पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आराजीयात का पक्षकारान ने मनबट के आधार पर तकासमा कर रखा है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कराने के लिये कहा किन्तु प्रतिवादीगण टालते रहे एवं जमीनो के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है इस कारण वह वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर आराजीयात को विक्रय करना चाहते है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण कुछ व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त आराजीयात पर आये एवं जमीन दिखाने लगे जिस बाबत वादी ने ऐतराज किया तो वह झगडा करने पर उतारू हो गये एवं धमकी दी कि आराजीयात पर कब्जा कर उसे ऊंचे दामों में बेचान करेगे। इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 12/3 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा ग्राम नयागांव तहसील बस्सी, जिला जयपुर का पक्षकारान के हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कर खाता अलहदा–अलहदा किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं करे और ना ही वादग्रस्त आराजी का बेचान करे ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 05.11.2004 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 08.12.2011 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा कुरैजात मौके अनुसार तैयार नहीं होने के कारण कुरैजात पर आपत्ति प्रस्तुत की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति पर कोई निर्णय पारित किया गया। जिस कारण अपीलान्ट ने परेशान होकर प्रार्थना पत्र बाबत वाद विद्रो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के विपरीत तकासमा किया है एवं तकासमा अनुसार अपीलान्ट के सडक पर आने जाने के लिये कोई रास्ता नक्शें में नहीं छोडा है। तहसीलदार ने बिना पक्षकारों की उपस्थिति एवं मौका कब्जा की स्थिति को देखे बिना ही गलत रूप से नक्शे कुरैजात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

ही अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 08.12.2011 पारित किये जाने में त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2011 खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार की गयी है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2004 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 08.12.2011 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 23.08.2005 को प्रस्तुत हुई। जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.10.2005 को आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत कुरैजात रिपोर्ट पेश की गई जिस पर दिनांक 18.10.2005 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुरैजात प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट नियत की गई। वकील प्रार्थी को काफी अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद बहस नहीं किये जाने एवं बहस के लिये समय की मांग किये जाने से पत्रावली निरन्तर तारीख पेशियों में बहस कुरैजात रिपोर्ट हेतु नियत रही। तत्पश्चात् प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 12.01.2006 को प्रकरण में पटवारी को तलब फरमाये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी को तलब किया जाना अनावश्यक व प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य का कारण मानते हुये, आधारहीन होने से खारिज फरमा दिया गया। उसके उपरान्त पत्रावली वास्ते कुरैजात रिपोर्ट पर बहस हेतु निरन्तर रूप से नियत रही किन्तु प्रार्थी/अपीलान्ट काफी अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी बहस नहीं की गई एवं पत्रावली में प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से दिनांक 22.11.2011 को प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादीगण का जवाब लिया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में पूर्ण व्याख्या कर प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र विड्रो किये जाने हेतु खारिज फरमाकर प्रार्थी/अपीलान्ट को अदालती नोटिस द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से कुरैजात व अंतिम बहस के लिये दिनांक 08.12.2011 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया। जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड डाक की ए.डी. की वापसी रसीद को देखने से स्पष्ट है कि उक्त रजिस्टर्ड ए.डी. की वापसी रसीद पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.11.2011 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस प्राप्त किया जा चुका था बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की बहस सुनकर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई। अपीलान्ट की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कि अपीलान्ट द्वारा वाद पत्र में स्वयं के हिस्से तक ही विभाजन का अनुतोष चाहा गया था जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हिस्से के विभाजन के साथ–साथ अन्य सहखातेदारान के हिस्से अनुसार विभाजन कर दिया गया इसमें मेरी विधिक राय में अपीलान्ट को चाहे गये अनुतोष में किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावट पैदा नहीं हो रही है एवं ना ही अन्य सहखातेदार के हिस्से का विभाजन किये जाने से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को कोई क्षति कारित हो रही है। अपीलान्ट द्वारा एक उज्र यह किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा निर्मित की गई है जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट को देखने पर पाया गया कि कुरैजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुये तैयार की गयी है जिससे अपीलान्ट द्वारा उठाया गया उक्त उज्र निराधार व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से स्वीकार्य नहीं है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये अन्य उज्र मात्र मौखिक कथनों पर आधारित है जिसको अपीलान्ट द्वारा मौखिक कथनों के अतिरिक्त किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे अपील में उठाये गये अन्य उज्र भी निराधार पाये जाते है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुये तैयार की गयी है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। जिसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 08.12.2011 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner